न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्याः 237 / 2024(जी.सी.एम.एस. 2024 / 375)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. सिमरजीत कौर पत्नी बग्गा सिंह निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर।		1. अमरजीत कौर पुत्री कर्म सिंह निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 2. कुलदीप कौर पुत्री हाकम सिंह निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 3. जसविन्द्र कौर पुत्री हाकम सिंह निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 4. जसविन्द्र सिंह पुत्र गुरदीप सिंह निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 5. दर्शन सिंह पुत्र कर्म सिंह निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 6. नसीब कौर पत्नी गुरदीप सिंह निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 7. रामचन्द उर्फ चन्द सिंह पुत्र कर्म सिंह निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 8. लखविन्द्र सिंह पुत्र हाकम सिंह निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 9. सुखजीत कौर पत्नी तरसेम सिंह निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 10. सुखविन्द्र सिंह पुत्र गुरदीप सिंह निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 11. हरिन्द्रपाल कौर पत्नी गगनदीप सिंह निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 12. मनविन्द्र कौर पत्नी कलवन्त सिंह निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 13. विरेन्द्र सिंह पुत्र बिकर सिंह निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 14. हरजिन्द्र कौर पत्नी बेअन्त सिंह निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 15. जगदीप सिंह पुत्र नाजम सिंह निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 16. परविन्द्र कौर पत्नी नाजम सिंह निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 17. बसाखा सिंह पुत्र ढोला सिंह निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 18. हरदीप सिंह पुत्र नाजम सिंह निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 19. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 09.12.2024

उपस्थितः1. श्री इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादीगण
2.श्री अशोक कुमार जोशी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 13

—निर्णय—

दिनांकः 25.07.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम 11 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 97/98 के मुरब्बा नम्बर 56 की कुल 3.593 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 98/100 के मुरब्बा नम्बर 19 की कुल 3.159 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 99/99 के मुरब्बा नम्बर 19, 20 की कुल 3.453 हैक्टेयर भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 के नाम से सहखातेदारान के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 ने आपसी सहुलियत के अनुसार सहमति से घरू वाहमी बंटवारा किया हुआ है। घरू वाहमी बंटवारानामा अनुसार ही वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 अपने-अपने रकवा पर पिछले काफी समय काश्त करते आ रहे है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 अपने-अपने रकबा पर काबिज अवश्य है। लेकिन दोनो का कब्जा काश्त के अनुसार रकवा अंकित नहीं है। हालांकि वादी ने कब्जा काश्त की भूमि को काफी मेहनत से भूमि को समतल करके, उसमें कई सुविधाओ का निर्माण किया है। वादी का जीवन निर्वाह व उज्जवल भविष्य कृषि भूमि पर निर्भर है, लेकिन राजस्व अभिलेख में मुताबिक कब्जा काश्त के रकवा अंकित नहीं है। आज से 5 रोज पूर्व वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 के समक्ष उपस्थित होकर, सहमति से राजस्व अंकन करवाने हेतु निवेदन किया, लेकिन उसके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नही दिया गया है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 11 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 97/98 के मुरब्बा नम्बर 56 की कुल 3.593 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 98/100 के मुरब्बा नम्बर 19 की कुल 3.159 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 99/99 के मुरब्बा नम्बर 19, 20 की कुल 3.453 हैक्टेयर भूमि में से वादी को घरू वाहमी बंटवारानामा में प्राप्त भूमि का अलग से लगान व खाता कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 13 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार जोशी उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 13 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। वादी अधिवक्ता के द्वारा जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पर अनापत्ति जाहिर की। प्रतिवादी संख्या 1 ता 11, 17 के द्वारा बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। प्रकरण में अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र व काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथप एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार है। लिहाजा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 12 ता 16, 18 अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 12 ता 16, 18 के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि राजस्व ग्राम 11 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 97/98 के मुरब्बा नम्बर 56 की कुल 3.593 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 98/100 के मुरब्बा नम्बर 19 की कुल 3.159 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 99/99 के मुरब्बा नम्बर 19, 20 की कुल 3.453 हैक्टेयर भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादी सिमरजीत कौर व प्रतिवादी विरेन्द्र सिंह के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में पंत्राक 1444 दिनांक 27.06.2025 से बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

4. बहस अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वादपत्र व प्रतिवादी संख्या 12 ता 16, 18 का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण, तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र व प्रतिवादी संख्या 12 ता 16, 18 का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

5. अतः अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है। कि राजस्व ग्राम 11 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 97/98 के मुरब्बा नम्बर 56 की कुल 3.593 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 98/100 के मुरब्बा नम्बर 19 की कुल 3.159 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 99/99 के मुरब्बा नम्बर 19, 20 की कुल 3.453 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 12 ता 16, 18 के हिस्से का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान रुपए में
1	सिमरजीत कौर पत्नी बग्गा सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर (1.518 हैक्टेयर)	11 एस	19	1, 2, 3 8, 9, 10	0.759 हैक्टेयर 0.759 हैक्टेयर	नहरी नहरी	5.25 5.25

सहायक कलक्टर एवं प्र.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

	विरेन्द्र सिंह पुत्र बिकर सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर (0.567 हैक्टेयर)	11 एस	19	13 21 22	0.113 हैक्टेयर 0.227 हैक्टेयर 0.227 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी	0.78 1.57 1.57
3	मनविन्द्र कौर पत्नी कलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। (0.506 हैक्टेयर) हरजिन्द्र कौर पत्नी बेअन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। (0.506 हैक्टेयर)	11 एस	19	11, 12 19, 20	0.506 हैक्टेयर 0.506 हैक्टेयर	नहरी नहरी	3.50 3.50
4	जगदीप सिंह पुत्र नाजम सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। (1/3 हिस्सा) परविन्द्र कौर पत्नी नाजम सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। (1/3 हिस्सा) हरदीप सिंह पुत्र नाजम सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। (1/3 हिस्सा)	11 एस	20	13 14/1	0.253 हैक्टेयर 0.164 हैक्टेयर	नहरी नहरी	1.75 1.13

शेष खाते एंव रहन बदस्तूर रहेगें। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 25.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

सिमरजीत कौर बनाम अमरजीत कौर आदि
धारा अन्तर्गत **53, 88, 91 आरटीए** मुकदमा नम्बर **237/2024**
निर्णय दिनांक :-25.07.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजू व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री अशोक कुमार जोशी, श्री ईकबाल सिंह** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि राजस्व ग्राम 11 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 97/98 के मुरब्बा नम्बर 56 की कुल 3.593 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 98/100 के मुरब्बा नम्बर 19 की कुल 3.159 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 99/99 के मुरब्बा नम्बर 19, 20 की कुल 3.453 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 12 ता 16, 18 के हिस्से का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान रुपए में
1	सिमरजीत कौर पत्नी बग्गा सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर (1.518 हैक्टेयर)	11 एस	19	1, 2, 3 8, 9, 10	0.759 हैक्टेयर 0.759 हैक्टेयर	नहरी नहरी	5.25 5.25
2	विरेन्द्र सिंह पुत्र बिकर सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर (0.567 हैक्टेयर)	11 एस	19	13 21 22	0.113 हैक्टेयर 0.227 हैक्टेयर 0.227 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी	0.78 1.57 1.57
3	मनविन्द्र कौर पत्नी कलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। (0.506 हैक्टेयर) हरजिन्द्र कौर पत्नी बेअन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। (0.506 हैक्टेयर)	11 एस	19	11, 12 19, 20	0.506 हैक्टेयर 0.506 हैक्टेयर	नहरी नहरी	3.50 3.50
4	जगदीप सिंह पुत्र नाजम सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। (1/3 हिस्सा) परविन्द्र कौर पत्नी नाजम सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। (1/3 हिस्सा) हरदीप सिंह पुत्र नाजम सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। (1/3 हिस्सा)	11 एस	20	13 14/1	0.253 हैक्टेयर 0.164 हैक्टेयर	नहरी नहरी	1.75 1.13

शेष खाते एंव रहन बदस्तूर रहेगें। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा, निर्णय का एक भाग माना जावे।
आज दिनांक 25.07.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम} (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	02	--
स्टाम्प ड्यूटी	250	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	254	**00**	**योग**	**04**	**00**

([illegible])
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला (श्रीगंगानगर)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

क्रमांकः रीडर/ 2025/ ~~556~~ 557 दिनांकः 28.07.2025

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

([illegible])
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)